ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 309-311
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

भारतीय संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य विधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुनील कुमार पासवान
शोध अध्येता– राजनीतिक विज्ञान, दीनदयालय उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 07.03.2022, Revised- 11.03.2022, Accepted - 15.03.2022 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांशः – *जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब से देश में संसदीय प्रणाली को अंगी.त किया गया। इसके पीछे संभवत मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा के मूल मंत्र के साथ देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहें। इसी आधार पर जनप्रतिनिधियों के लिए सांसद और विधान मंडलों की रचना की गई। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। 'संसदीय' शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे 'संसद' कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को 'संसद' कहा जाता है। यह वह धुरी है, जो देश के शासन की नींव है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदन (राज्यसभा एवं लोकसभा) से मिलकर बनती हैं।*

कुंजीभूत शब्द– संसदीय प्रणाली, अंगीकृत, शासन, जनता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों ।

भारत की संसदीय प्रणाली पर इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था का व्यापक प्रभाव है। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिकता के बीच घनिष्ट संबंध होता है। संविधान के भाग V में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषधिकारियों और शक्तियों से संबंधित है। संसदीय शासन प्रणाली को देश के लिए कानून बनाना, इस सांसद प्रणाली में विधानमंडल को सरकार की नीतियां निर्धारित करना, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्तियां है और किसी भी कानून को पारित करने की छमता है, विधि निर्माण का कार्य करना होता है, इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में चर्चा में भाग लेने की शक्ति है, यह राज्य विधानमंडल शक्तियों को बनाया समाप्त कर सकता है। भारत में संविधान द्वारा संसद को विभिन्न शक्तियां एवं कार्य प्रदान की गई हैं।

वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। सांसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्राकक्लन समिति और लोक लेख समिति की विशाल संसद द्वारा चलाया जाता है।

कार्यपालिका संबंधित शक्ति प्राप्त है। संसद में ही सत्तापक्ष के सदस्यों से मंत्रीपरिषद का गठन किया जाता है संसद सदस्य कई प्रतिनिधियों के माध्यम से मंत्रीपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं तथा मंत्री परिषद को संसद (विशेषकर सदन) के प्रति उत्तरदायी बनाए रखते हैं।

संसद का संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन संसद का अधिकार असीमित नहीं है क्योंकि संसद के संविधान के संशोधनो को संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

ससंद राज्यों की सीमाओ और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्यों का विभाजन कर सकते हैं और कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते है

संसद को महाभियोग की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद राष्ट्रपति को महाभियो प्रक्रिया के माध्यम से पद मुक्त करने का अधिकार है। देश्ज्ञ के लिए कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राज्य सीाा, लोक सभा और राष्ट्रपति मिलकर कानून बनाते है।

भारतीय संसद के कार्य मे कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार की विधायी शाक्तियाँ भारत के संसद के पास है इस प्रकार भारत के संसद द्वारा बनाए गण् कानून पूरे भारत मे लागू होते है। भारत में संसद को दो श्रेणीयो में विभाजित किया गया है। वह है राज्या सभा और लोकसभा। इस प्रकार भारतीय संसद के कार्य, सरकार द्वारा दी गई विभिन्न शाक्यिाँ पर निर्भर करते है इसलिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनो को दोनो संदनो द्वारा निष्पादित किया जाता है। संसद के कार्यो को उसकी शाक्तियों के आधार पर विभाजित किया गया है जो निम्न है।

1. कार्यकारी शाक्तियाँ, 2. विधायी शाक्तियाँ, 3. न्यायिक शाक्तियाँ, 4. वित्ति शाक्तियाँ, 5. चुनावी शाक्तियाँ

1. कार्यकारी शाक्तियाँ एवं कार्य– भारत के संविधान ने सरकार के संसदीय रूप् की स्थापना की है। जिसमें कार्यकारिणी अपनी नितियों एवं कार्यो के लिए संसद का प्राति उत्तरदायी होती है इस तरह संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल,शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

नियंत्रण रखती हैं। यह अपनी समितियों जैसे सरकारी आशवासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति याचिका समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती है।

2. विधायी शाक्तियाँ एवं कार्य– संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियां बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर (जिसमें मूल रूप् से 98 एवं वर्तमान में 99 विषय हैं) तथा अवशिष्ट विषयों (वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं) पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसर विषय पर विवाद होता है तो संसद, समवर्ती सूची के विषयों पर (जिसमें मूल रूप् से 47 एवं वर्तमान में 59 विषय हैं) भी विधि बना सकती है अर्थातफ दो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमण्डल पर प्रभावी होगी।

3. न्यायिक शक्वियां एवं कार्य– संसद की न्यायिक शाक्वियाँ और कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

अ. संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती हैं।

ब. यह उप–राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है।

स. यह उच्चतम न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश सहित) एवं उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है।

द. यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दण्डित कर सकती है।

4. वित्तीय शक्तियां एवं कार्य– संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की उगाही कर सकती, न ही कोई कर लगा सकती और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसीलिये बजट को स्वीकृति के लिये संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है।

संसद, विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती है और उस पर नियंत्रण रखती है। इन समितियों में शामिल हैं–लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। ये अवैध, अनियमित, अमान्य, अनुचित प्रयोगों एवं सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोग के मामलों को सामने लाती हैं।

इसीलिये, कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण निम्न दो तरीकों से संभव हो पाता है:

(अ) बजटीय नियंत्रण, जो कि बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में भी होता है।

(ब) उत्तर बजटीय नियंत्रण, जो अनुदान मांगों को स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् तीन वित्तीय समितियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है।

5.निर्वाचक शक्तियां एवं कार्य– संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में (राज्य विधानसभाओं के साथ) भाग लेती है और उप–राष्ट्रपति को चुनती है। लोकसभा अपने अध्यक एवं उपाध्यक्ष को चुनती है,. जबकि राज्यसभा, उप–सभापति का चयन करती है।

संसद को यह भी शक्ति है कि वह राष्ट्रपति एवं उप–राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। वह संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधायिका कें निर्वाचन से संबधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। इसी आधार पर संसद ने राष्ट्रपतीय एवं उप–राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम (1952), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) आदि बनाए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय– न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य दो अंग हैं कार्यपालिका और विधायिका। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च अदालत है जो 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। न्यायपालिका, संप्रभुतासम्पन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों पर दण्ड निर्धारित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही यह कानून का क्रियान्यवन कराती है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। न्यायपालिका के अन्तर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय होता है एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालय (कोर्ट) होते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के तहत असीमित शक्तियां प्राप्त हैं और इस तरह वह विभिन्न कार्य करता है। प्राथमिक कार्य कानून और कार्यकारी कार्यों दोनो की संवैधानिक समीक्षा करता है। संवैधानिक समीक्षा का यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सरकारी अधिकारियों द्वारा पारित अधीनस्थ विधानों सहित संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करके सरकार के अन्य अंगों पर जाँच करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए अन्य कार्य भी हैं। यह सरकार की प्रक्रियाओं के खिलाफ एक छोटे नागरिक का पक्ष ले सकता है और यह केंद्र और

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

राज्यों के बीच विवादों पर फैसला सुना सकता है। यदि भारत के राज्यों में से एक का दूसरे राज्य के साथ कानूनी झगड़ा है, तो कोई भी राज्य अपने विवाद का फैसला करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के बीच महत्वपूर्ण नागरिक विवादों का फैसला कर सकता है। हत्या का दोषी पाया गया अपराधी, या इससे भी कम गंभीर अपराध, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके अलावा, यह अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और स्पष्ट रूप से गलत होने पर अपने निर्णय या आदेश को ठीक करने की शक्ति भी रखता है। यह कानून और तथ्य दोनों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह प्रदान कर सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एक कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करता है। यानी किसी विशेष मामले में जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी जांच एजेंसी की निगरानी करना और विशेष जांच दल (एसआईटी) जैसी विशेष जांच एजेंसी की स्थापना करना। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करना चाहिए।'' उपर्युक्त कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'न्यायिक सिद्धांत' है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के तहत असीमित शक्तियां प्राप्त हैं।

सर्वोच्च न्यायलय की शाक्तियाँ एवं कार्य– संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यपक शाक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को उल्लिखित किया गया है अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हॉउस आफ लार्ड (ब्रितिश संसद के उच्च संदन) की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है बल्कि यह संविधान और भारत के नागारिकों के अधिकारो का व्याखातः एवं गारन्टर भी ही इसके आलावा यह परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च शाक्ति है इसलिए संक्धिान का प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादि कृष्ण आय्यर ने कहा था की भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा शाक्तियां प्राप्त हो।

उच्चतम न्यायालय की शाक्ति तथा न्यायक्षेत्र में पहला मूल क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय भारत के संघीय ढ़ाचे की विभिन्न इकाईयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो 1. केन्द्र व एक या अधिक राज्यों के बीच है 2. कन्द्र और काई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दुसरी तरफ होना या 3. दो या अधिक राज्यों के बीच दुसरा न्यायदेश क्षेत्राधिकार है संविधान ने उच्चतम न्यायलय को नागरिकों के मूल अधिकार के रक्षक एवं गारन्टर के रूप् में स्थापित किया है उच्चातम न्यायालय को आधिकार प्राप्त है वह है वंदी प्रत्क्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण प्रतिषेध अधिकार पृच्छा, आदि कर न्यायदेश जारी कर विक्षिप्त नागरिको के मूल अधिकारो की रक्ष करें।

तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसमें उच्चतम न्यायलय निचली अदालतो के फैसलो के खिलाफ सुनवाही करता है इसमें निम्न क्षेत्र आते है 1. सविधानिक मामलो में अपील 2. दिवानी मामलो में अपील3. अपारधिक मामलो में अपील 4. विशेष अनुमाति द्वारा अपील चौथा सलाहाकार क्षेत्राधिकार है संविधान (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति को दो श्रेणीयों के मामलो में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार होता है 1. सार्वजनिक के महत्व के किसी महत्व पर विधिक प्रश्न उठने पर 2. किसी पूर्व संवैधानिक, संधि, प्रसंविध, समझौता, आदि सनद मामलों पर किसी विवाद उत्पन्न होने पर पाँवा अभिलेख न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है इसमें दो शाक्तियां है 1. उच्चतम न्यायलय की कार्यवाही एवं इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप् में रखें जाएगें। 2ध्. इसके पास न्यायलय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है

छठवा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अधिकार है उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है इसके तहत वह केन्द्र व राज्य दोनो पर विधायी व कार्य कारी आदेशों की संविधानिकता की जांच की जाती।

निष्कर्ष– निष्कर्ष के रूप् में हम कह सकते है कि अपने अपने क्षेत्र में संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय की शाक्तियां महत्व रखती है जहा संसद को केवल संविधान की मूल ढ़ांचा को छोड़कर किसी में भी संविधान संशोध कि शाक्ति प्राप्त है वही दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के किसी भी निर्णय, नियम आदेश की समीक्षा करने की शाक्ति प्राप्त है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. http: /hi.m.wikipedia (भारतीय संसद)
2. https://uppsctarget.com/study-material '' संसद के कार्य एवं षक्तियां''
3. https:/hi.m.wikipedia.org (न्यायपालिका)
4. B.Muthu Kumar (2016) The Stracture and function of the supreme court of india in constitution adjudication-An Analysis
5. https://www.mynearexam.in सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य''

*****